(33)

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर
अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय

पत्रांक: डी0एस0डब्ल्यू/ 297/2019–20 दिनांक : 22.07.2019

आवश्यक सूचना

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष, परिसर पाठ्यक्रम
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

विषयः–दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति वर्ष 2019–20 हेतु सामान्य वर्ग/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए ऑनलाईन आवेदन फार्म भरने हेतु समय–सारणी एवं दिशा–निर्देश।

1– विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों में **प्रवेश लेने वाले प्रथम वर्ष के तथा पुराने छात्र जो** समान्य वर्ग/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं जिनके माता–पिता अथवा अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रू0 2,00,000/–(दो लाख) एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के माता–पिता अथवा अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 250000 (दो लाख पचास हजार) से अधिक न हो वे नया आवेदन फार्म शासन की वेब–साइट scholarship.up.nic.in पर दिये गये निर्देश एवं नियम के अनुसार 1 जुलाई 2019 से 20 अगस्त 2019 तक भर सकते हैं।

2– जिन छात्र/छात्राओं द्वारा वर्ष 2018–19 में नवीन (Fresh) आवेदन फार्म भरा गया था, वे चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में **नवींनीकरण** (Renewal) के द्वारा आवेदन फार्म शासन की वेब–साइट scholarship.up.nic.in पर दिये गये निर्देश के अनुसार 1 जुलाई 2019 से 20 अगस्त 2019 तक भर सकते है उनके लिए भी बिन्दु–1 नियम लागू होंगे।

3–छात्र/छात्राएं आवेदन–पत्र सबमिट करने के उपरान्त तीन दिन बाद संस्था हेतु फाइनल प्रिन्ट ले सकेगें, यदि आवेदन–पत्र में जाति/आय प्रमाण–पत्र क्रमांक, आय, आधार नम्बर तथा हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट के रोल नम्बर में कोई त्रुटि होगी तो इन तीन दिनों में छात्र/छात्रा की लागिन पर प्रदर्शित किया जायेगा। त्रुटियाँ सही करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान को सबमिट (Submit) करने हेतु फाइनल प्रिन्ट लें एवं विभाग के आवेदन पत्र जमा करने की प्राप्ति रसीद अवश्य लें।

4– यदि कोई छात्र/छात्रा किसी कारण पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में आवेदन फार्म नहीं भर सके थे और वर्तमान में पाठ्यक्रम के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ष अथवा पंचम वर्ष में अध्ययनरत है, नये छात्र के रूप में नवीन (Fresh) छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का आवेदन फार्म भर सकते हैं।

5–शासन के निर्देश के अनुसार नवीनीकरण (Renewal)के छात्र आवेदन पत्र भरने के लिए (01 जुलाई 2019 से प्रारम्भ) निर्धारित अन्तिम तिथि 20 अगस्त, 2019 तक प्रत्येक दशा में आवेदन पत्र भरना एवं सबमिट करना सुनिश्चित करें एवं हार्ड कापी समस्त संग्नको सहित 05 दिन के अन्दर विलम्बतम् 25 अगस्त, 2019 तक अपने–अपने विभाग में जमा करना सुनिश्चित करेगें तथा विभाग द्वारा उन आवेदन–पत्रों को दिनांक 26 अगस्त, 2019 तक अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय में सूची के साथ अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। जिससे कि **नवीनीकरण के पात्र छात्रों को दिनांक 02 अक्टूबर, 2019 तक छात्रवृत्ति की धनराशि दी जा सके।**

Adhm
22/07/19

......2.....

6– छात्र/छात्राओं को दशमोत्तर छात्रवृत्ति आवेदन फार्म के साथ निम्नलिखित अभिलेख/प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है–

- मता–पिता, अभिभावक का आय प्रमाण–पत्र तथा उसकी स्वप्रमाणित नेट कापी। (नये छात्र आय प्रमाण–पत्र की मूल प्रति जमा करेगें)
- जाति प्रमाण–पत्र तथा उसकी स्वप्रमाणित नेट कापी यदि आवश्यक हो।
- निवास प्रमाण–पत्र तथा उसकी स्वप्रमाणित नेट कापी।
- संस्थान में जमा शुल्क की रसीद की छाया प्रति जो संस्थान के विभागाध्यक्ष से सत्यापित हो। यदि छात्र/छात्रा ने **ए0के0टी0यू0** के माध्यम से इस सत्र में प्रवेश लिए हों तो काउन्सिलिंग के समय जमा किए गए शुल्क रसीद की स्वप्रमाणित छाया प्रति।
- विश्वविद्यालय परिसर में अध्ययनरत छात्र गतवर्ष के दोनों सेमेस्टर का परीक्षा फल घोषित हो गया हो **(छात्र/छात्रा परीक्षाफल अपूर्ण होने की स्थिति में छात्रवृत्ति आवेदन फार्म नहीं भर सकते हैं।)** के अंक पत्रों की छाया प्रति जो विभागाध्यक्ष से सत्यापित हो, संलग्न करेंगे। नव प्रवेशित छात्र गतवर्ष के अंक पत्र स्वयं प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करेंगे।
- हाई स्कूल का अंक–पत्र तथा इण्टरमीडिएट के अंक–पत्र व टी0सी0 की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- छात्रावास में रहने की स्थिति में वार्डन द्वारा दिया गया प्रमाण–पत्र।
- चीफ प्राक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र कि छात्र/छात्रा के विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गयी है और उनके उपर इस सम्बन्ध में कोई जांच कार्यवाही नहीं चल रही है।
- छात्र/छात्रा द्वारा इस आशय का घोषणा–पत्र संलग्न करना होगा कि यदि मैं वर्तमान सत्र में 75 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण नहीं हो पाती है तो प्राप्त होने वाली छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति को वापस कर दूँगा/दूँगी।
- नवीनीकरण (Renewal) का आवेदन फार्म भरने वाले छात्र पिछली कक्षा (सत्र 2018–19) में 75 प्रतिशत उपस्थिति का प्रमाण–पत्र जो विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत हो, संलग्न करेंगे।
- बैंक पास बुक की छाया प्रति जिसमें खाता संख्या एवं आई0एफ0सी0 कोड पठनीय हो।
- छात्र/छात्रा द्वारा दिया गया रू0 10 का नोटरी शपथ पत्र (संस्थान में प्रवेश तथा बैंक खाता आदि के सम्बन्ध में)।
- छात्र के माता–पिता अथवा अभिभावक द्वारा आय के सम्बन्ध में रू0 10 का नोटरी शपथ पत्र।
- यदि वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश एवं गत परीक्षा उत्तीर्ण होने के समय में अन्तराल हो तो अन्तराल (गैप) के सम्बन्ध में रू0 10 का नोटरी शपथ पत्र।
- छात्र/छात्रा द्वारा दिया गया स्वप्रमाणित घोषणा पत्र की आवेदन फार्म में भरी गयी सभी प्रविष्टियाँ सत्य हैं और आवेदन–पत्र में दिया गया कोई विवरण/तथ्य मिथ्या पाया जाता है तो मेरे विरूद्ध विधि के भा0द0वि0 1960 की धारा 199 व 200 एवं प्रभावी किसी अन्य विधि के लिये स्वयं उत्तरदायी होऊंगा/होऊंगी।
- छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन फार्म में छात्र/छात्राओं द्वारा विश्वविद्यालय का नामाकंन संख्या एवं आधार संख्या सही–2 भरा जाना आवश्यक है, की छाया प्रति संलग्न करेंगे।

7– छात्र द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन फार्म भरने सम्बन्धी दिशा–निर्देश शासन की वेब–साइट scholarship.up.nic.in पर उपलब्ध है।

8– सभी छात्र/छात्राएं आनलाईन आवेदन फार्म (हार्ड कापी) का तीन सेट तैयार करेंगे जिसमें से दो सेट अपने विभागाध्यक्ष के यहाँ समय से जमा करेंगे तथा वही से उसकी **रसीद** प्राप्त कर लें।

Adhiraj
22/07/019

छात्र/छात्राओं के आवेदन फार्म सीधे अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय में स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

9– विभागाध्यक्ष, छात्र/छात्राओं से प्राप्त आवेदन फार्म की दो प्रति अपने यहाँ जमा करेगें तथा प्रत्येक छात्र के आवेदन फार्म की एक प्रति शासनादेश के अनुसार अपने यहाँ 10 वर्षो तक सुरक्षित रखेगें तथा समान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अनुसार तैयार कर **आवेदन फार्म की मूल प्रति** तथा उसकी सूची वर्गवार तैयार कर प्रत्येक शुक्रवार को पूर्वान्ह 2:00 बजे तक अनिवार्य रूप से डी0एस0डब्लू कार्यालय में जमा करेंगे ताकि अगले दिवस (प्रत्येक शनिवार) को आवेदन फार्म मा0 कुलपति महोदय द्वारा गठित अग्रसारण/जांच कमेटी के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सके और जांचोपरान्त ऑनलाइन अग्रसारित किया जा सके।

10– सभी विभागाध्यक्ष **इस बात का विशेष ध्यान दें कि मुस्लिम**, सिख, ईसाई, व जैन धर्म के छात्र/छात्राएं अल्पसंख्यक वर्ग में ही आवेदन फार्म भरेंगे, (सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग अथवा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग में कदापि आवेदन नहीं करेगें) अन्यथा की स्थिति में उनके आवेदन फार्म स्वतः निरस्त हो जायेंगे।

11– समस्त विभागाध्यक्ष छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन फार्म अग्रसारित करने के पूर्व जांचकर यह सुनिश्चित कर लें कि छात्र/छात्रा वर्तमान सत्र में प्रवेशित है और नियमानुसार वार्षिक शुल्क जमा किया है तथा विगत दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित है तथा समस्त पूरित किये गये कालम अक्षरशः पूर्णरूप से त्रुटिरहित भरे गये हैं तथा बिन्दु 06 के अनुसार सभी वांछित अभिलेख संलग्न हैं।

12– गलत, फर्जी, त्रुटिपूर्ण आवेदन–फार्म सत्यापित/अग्रसारित करने वाले संस्थान के विरूद्ध नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत **एफ0आई0आर0** दर्ज कराये जाने की व्यवस्था है अतएव आवेदन फार्म सत्यापन/अग्रसारण के समय पूर्ण सतर्कता बरती जाय।

13– छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन–पत्र में त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/गलत प्रविष्टि भरने पर पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा का ही होगा एवं आवेदन–पत्र निरस्त हो जायेगा तथा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी।

14– छात्र/छात्रा के माता–पिता अथवा अभिभावक यदि **वेतन भोगी हैं** तो उनके नियोक्ता द्वारा निर्गत आय प्रमाण–पत्र भी आवेदन फार्म के साथ संलग्न करेंगे जिससे उनके वार्षिक आय की गणना की जा सके।

15– सभी विभागाध्यक्ष अपने विभाग द्वारा अग्रसारित/सत्यापित किये गये छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन फार्म तथा उसकी **अन्तिम सूची दिनांक 26.08.2019 तक अनिवार्य रूप से अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय में अपरान्ह 02:00 बजे तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।**

16– शासन द्वारा जारी समय–सारणी के अनुसार नवीनीकरण (Renewal) एवं नवीन (Fresh) श्रेणी के अवशेष छात्र जो 20 अगस्त, 2019 तक आवेदन फार्म नहीं भर सकेंगे उनके लिए आवेदन–पत्र भरने के लिए निर्धारित अन्तिम तिथि 10 अक्टूबर, 2019 तक का समय दिया गया है। छात्र इस समय सीमा में ही प्रत्येक दशा में आवेदन–पत्र भरना एवं सबमिट करना सुनिश्चित करें एवं हार्ड कापी समस्त संलग्नकों सहित 07 दिन के अन्दर (17 अक्टूबर, 2019) अपने–अपने विभाग में जमा करना सुनिश्चित कर लें। तथा समस्त विभागाध्यक्ष उन आवेदन पत्रों को अग्रसारित/सत्यापित कर अन्तिम सूची वर्गवार तैयार कर दिनांक 18.10.2019 तक अनिवार्य रूप

......4......

Adhri
22/07/19

से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में अपरान्ह 02:00 बजे तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस समय–सीमा के उपरान्त आवेदन करने की तिथि में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी। यदि किसी कारणवश वृद्धि की जाती है तो छात्रवृत्ति पाने हेतु छात्र का वरीयताक्रम सबसे नीचे होगा।

17– छात्र/छात्राओं के द्वारा आवेदन फार्म के साथ संलग्न सभी प्रपत्र को स्वप्रमाणित करना है तथा आवेदन फार्म, फोटोग्राफ, शुल्क रसीद एवं अंक पत्र को विभागाध्यक्ष द्वारा अनिवार्य रूप से सत्यापित किया जाना है।

18– यदि कोई छात्र/छात्रा अध्ययन के दौरान संस्थान/पाठ्यक्रम छोड़कर बीच में ही अन्यत्र चला जाता है और छात्रवृत्ति आवेदन फार्म जमा किया हो तो विभागाध्यक्ष द्वारा उसकी सूचना तत्काल अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय को अनिवार्य रूप से दिया जाय ताकि सम्बन्धित छात्र/छात्रा की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि पर रोक लगवाई जा सके।

अतः समस्त विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि अपने विभाग में अध्ययनरत् पात्र छात्र/छात्राओं को समय से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन फार्म भरने हेतु सूचित/अवगत कराने का कष्ट करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि कोई पात्र छात्र आवेदन फार्म भरने से वंचित न रहे।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय

(प्रो0 अजय द्विवेदी)
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपिः–

1– निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
2– वरिष्ठ आशुलिपिक वित्त अधिकारी, वित्त अधिकारी के सूचनार्थ
3– वरिष्ठ आशुलिपिक कुलसचिद, कुलसचिव के सूचनार्थ।
4– परीक्षा नियत्रंक जी को सूचनार्थ।
5– समस्त डीन/निदेशक विश्वविद्यालय परिसर पाठ्यक्रम को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के कार्य को अपने स्तर से पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
6– चीफ प्राक्टर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7– चीफ वार्डन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8– श्री अमित वत्स, प्रभारी रिजल्ट प्रोसेसिंग को इस आशय के साथ प्रेषित कि छात्र/छात्राओं के परीक्षा फल को स्कालरशिप पोर्टल पर समयावधि में अपलोड करने के साथ उसकी एक शाफ्ट कापी अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय को भी उपलब्ध करायें।
9– वेब मास्टर को इस आशय के साथ प्रेषित की उपरोक्त सूचना एवं साथ में संलग्न (5) प्रपत्र/प्रारूप को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10– समस्त विभागों के सूचना पट्ट पर चस्पा करने हेतु

22/07/19

(प्रो0 अजय द्विवेदी)
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

चीफ प्राक्टर द्वारा सत्र 2019-20 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन फार्म भरने वाले छात्र/छात्राओं को दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का प्रारूप।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कु0/श्री/श्रीमती.. पुत्री/पुत्र/पत्नी.. जो कि विश्वविद्यालय परिसर में संचालित.. पाठ्यक्रम के .... वर्ष में अध्ययनरत है तथा विश्वविद्यालय में किसी भी अवांछनीय गतिविधियों/अनुशासनहीनता के दोषी नहीं है। इनके छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन फार्म को नियमानुसार अग्रसारित किया जा सकता है।

दिनांक..............................

चीफ प्राक्टर
(सील/मुहर)

सत्र 2019-20 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन फार्म के साथ छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन फार्म में भरे गए सभी कालम सत्य होने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र का प्रारूप।

स्वप्रमाणित घोषणा पत्र

मैं... पुत्र/पुत्री/श्री.. उम्र .... वर्ष .... व्यवसाय.............................. निवासी (पूरा स्थाई पता).................. .... प्रमाणित करते हुये घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिये गये विवरण/तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी एवं विश्वास में शुद्ध एवं सत्य है। मैं मिथ्या विवरणों/तथ्यों का देने के परिणामों से भली–भाँति अवगत हूँ। यदि आवेदन पत्र में दिये गये कोई विवरण/तथ्य मिथ्या पाये जाते है तो मैं मेरे विरूद्ध भा0दं0वि0 1960 की धारा–199 व 200 एवं प्रभावी किसी अन्य विधि के अंतर्ग अभियोजन एवं दण्ड के लिये स्वयं उत्तरदायी होऊंगा/होऊंगी।

स्थान.. आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर

दिनांक.. आवेदक/आवेदिका का नाम

चीफ प्राक्टर द्वारा सत्र 2019-20 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन फार्म भरने वाले छात्र/छात्राओं को दिये जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कु0/श्री/श्रीमती..

पुत्री/पुत्र/पत्नी..जो कि विश्वविद्यालय परिसर मे संचालित..पाठ्यक्रम के ....वर्ष में अध्ययनरत है तथा विश्वविद्यालय में किसी भी अवांछनीय गतिविधियों/अनुशासनहीनता के दोषी नहीं है। इनके छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन फार्म को नियमानुसार अग्रसारित किया जा सकता है।

दिनांक..............................

चीफ प्राक्टर
(सील/मुहर)

सत्र 2019-20 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन फार्म के साथ छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन फार्म में भरे गए सभी कालम सत्य होने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र का प्रारूप।

स्वप्रमाणित घोषणा पत्र

मैं...पुत्र/पुत्री/श्री..
उर्म ....वर्ष ....व्यवसाय...............................निवासी (पूरा स्थाई पता)..................
....प्रमाणित करते हुये घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिये गये विवरण/तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी एवं विश्वास में शुद्ध एवं सत्य है। मैं मिथ्या विवरणों/तथ्यों का देने के परिणामों से भली-भाँति अवगत हूँ। यदि आवेदन पत्र में दिये गये कोई विवरण/तथ्य मिथ्या पाये जाते है तो मैं मेरे विरूद्ध भा0दि0वि0 1960 की धारा-199 व 200 एवं प्रभावी किसी अन्य विधि के अंतर्ग अभियोजन एवं दण्ड के लिये स्वय उत्तरदायी होऊंगा/होऊंगी।

स्थान.. आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर

दिनांक...................................... आवेदक/आवेदिका का नाम

वीर बहादुर सिंह पू०वि०वि० जौनपुर परिसर में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं द्वारा 2019-2020 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/ शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन फार्म में भरने वाले नान रिफंडेबल शुल्क का विवरण विभागवार/ वर्षवार निम्नवत् हैं :-

क्रमांक	पाठ्यक्रम/कोर्स का नाम	NON REFUNDABLE Fee.				
		I Year	II Year	III Year	IV Year	V Year
1	Btech (CSE, ECE, EE, ME, EI, IT)	65474=00	64274=00	64274=00	64474=00	—
2.	B. Pharma	80474=00	79274=00	64274=00	64474=00	
3.	B.A.L.L.B. (HONS)	41474=00	41274=00	—	—	
4.	BCA	20474=00	—	—	—	
5.	B Com. (HONS)	10474=00	—	—	—	
6.	Bsc (Phy, Math, Chemistry)	10474=00	—	—	—	
7.	MCA.	55450=00	54250=00	54450=00	—	
8.	MAP	35450=00	34450=00	—	—	
9.	MBA, MBA(BE), MBA(AG) MBA(FRC), MBA(HRD, Ecom)	55450=00	54450=00	—	—	
10.	Msc (BioTech, Biochem, Env-Sc, Microbiology)	55450=00	54450=00	—	—	
11	M.A. MASS Comm.	35450=00	34450=00	—	—	
12	M-sc - (Math Physics, Chemistry, Applied Geology)	21200=00	20700=00	—	—	

नोट - समस्त छात्र नान-रिफंडेबल शुल्क का विवरण आवेदन फार्म में सही-सही भरें।

2 - विश्वविद्यालय में जमा की गयी शुल्क के विवरण में कासन मनी को घटाकर भरा जायेगा। (नव प्रवेशित छात्र) New Form

3 - अवशेष कालम में नान-रिफंडेबल शुल्क में से जमा की गयी शुल्क (कासनमनी छोड़कर) को घटाकर शेष धनराशि भरें।

Adnnp
22/08/19
अधिष्ठाता
छात्र कल्याण
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय
जौनपुर

छात्रों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश - 2019-2020

1–छात्र क्या करें:–

- छात्रों हेतु आनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अपने शैक्षिक योग्यता के अंकपत्र/प्रमाण पत्र, जाति/आय प्रमाण पत्र (आनलाइन जारी), बैंक पासबुक, शिक्षण संस्थान में जमा की गयी शुल्क की रसीद, पाठ्यक्रम की अनिवार्य वार्षिक नान रिफण्डेबिल शुल्क धनराशि, वर्तमान विश्वविद्यालय/बोर्ड का अपना पंजीयन क्रमांक, आधार नम्बर, अपना पासपोर्ट साइज का फोटो आदि अभिलेख अपने पास एकत्रित कर लें। बिना आधार नम्बर के छात्रवृत्ति हेतु आनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाना सम्भव नहीं होगा।
- छात्र अपना आवेदन आनलाइन करने के पश्चात एवं फाइनल सबमिट करने से पूर्व अपना सम्पूर्ण विवरण यथा– हाईस्कूल/इण्टरमीडियट का रोल नम्बर, जाति/आय प्रमाण–पत्र का क्रमांक, छात्र द्वारा गत परीक्षा में प्राप्त अंकों का विवरण, वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की न्यूनतम योग्यता, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम का प्रकार, आय प्रमाण–पत्र में अंकित आय, बैंक शाखा का नाम, आई0एफ0एस0 कोड एवं खाता संख्या, अनुमोदित वार्षिक शुल्क की धनराशि, आवेदन पत्र में अंकित की गयी कैटेगरी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग) आदि का किया गया अंकन सावधानीपूर्वक जांच कर लें तदोपरान्त ही छात्र अपने आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करें।
- सभी छात्र अपना आवेदन पत्र स्वयं भरें। आनलाइन आवेदन पत्र के लिये पासवर्ड स्वयं सृजित करें। छात्र यदि साइबर कैफे/संस्था से आवेदन कर रहे हैं तो अपने सामने ही सभी प्रविष्टियों को आवेदन पत्र में भरवायें एवं जांच का प्रिन्ट लेकर स्वयं समस्त प्रविष्टियों की जांच कर लें तथा यदि कोई त्रुटि है तो उसको सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र को आनलाइन सबमिट करें।
- आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरान्त तीन दिन बाद संस्था हेतु फाइनल प्रिन्ट ले सकेंगे, यदि आवेदन पत्र में जाति/आय प्रमाण–पत्र क्रमांक, आय, आधार नम्बर तथा हाईस्कूल/इण्टरमीडियट के रोल नम्बर में कोई त्रुटि होगी तो उसे इन तीन दिनों में आपकी लागिन पर प्रदर्शित किया जायेगा। सही करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान को सबमिट (**Submit**) करने हेतु फाइनल प्रिन्ट लें एवं संस्थान से आवेदन पत्र जमा करने की पावती अवश्य लें।
- अनिवार्य वार्षिक शुल्क (**Non Refundable fees**) के कालम में शिक्षण संस्थान से जानकारी करने के बाद ही वास्तविक फीस की धनराशि ही अंकित करें।
- ✓ नवीनीकरण के छात्र आवेदन पत्र भरने के लिये (01 जुलाई 2019 से प्रारम्भ) निर्धारित अन्तिम तिथि (कक्षा 9–10 के लिये 10 अगस्त 2019 तक एवं कक्षा 11–12 एवं अन्य उच्च कक्षाओं हेतु 20 अगस्त 2019 तक) से पूर्व ही प्रत्येक दशा में आवेदन पत्र भरना एवं सबमिट करना सुनिश्चित करें एवं हार्ड कापी समस्त संलग्नकों सहित संस्था में जमा करना सुनिश्चित कर लें एवं प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त कर लें जिससे कि नवीनीकरण के पात्र छात्रों को दिनांक 02 अक्टूबर 2019 तक छात्रवृत्ति की धनराशि दी जा सके।
- ✓ नवीनीकरण एवं नवीन श्रेणी के अवशेष छात्रों को आवेदन पत्र भरने के लिये 01 जुलाई 2019 से प्रारम्भ होकर निर्धारित अन्तिम तिथि कक्षा 9–10 के लिये 10 सितम्बर 2019 तक एवं कक्षा 11–12 एवं अन्य उच्च कक्षाओं हेतु 10 अक्टूबर 2019 तक का समय दिया जा रहा है। छात्र इस समय–सीमा में ही प्रत्येक दशा में आवेदन पत्र भरना एवं सबमिट करना सुनिश्चित करें एवं हार्ड कापी समस्त संलग्नकों सहित संस्था में जमा करना सुनिश्चित कर लें एवं प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त कर लें। इस समय–सीमा के उपरान्त आवेदन करने की तिथि में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी। यदि किसी कारणवश वृद्धि की जाती है तो छात्रवृत्ति पाने हेतु छात्र का वरीयताक्रम सबसे नीचे होगा।
- आधार नम्बर जो कि छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र पर अंकित बैंक खाते से सीडेड हो, भरना अनिवार्य है। आधार नम्बर देने तथा उसकी सीडिंग बैंक खाते में कराने से **KYC(Know your customer)** पूर्ण हो जाती है। अपनी बैंक शाखा में **KYC(Know your customer)** फार्म भरकर अवश्य जमा कर दें। अपना बचत बैंक खाता संचालित रखें, उसमें निर्धारित न्यूनतम बैलेन्स बनाये रखें एवं खाते में धनराशि आने की लिमिट छात्रवृत्ति एव शुल्क प्रतिपूर्ति की प्राप्त होने वाली धनराशि से अधिक हो, इसे सुनिश्चित कर लें। यह भी ध्यान रखें कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क की धनराशि आने तक आपका खाता पूर्ण रूपेण संचालित रहे।
- बचत बैंक खाता संख्या (**CBS**) एवं **IFSC** कोड को भलीभांति जांच लें। बचत बैंक खाता संख्या एवं **IFSC** कोड भरने में जीरो (0) और ओ (**O**) अक्षर को विशेष ध्यान से भरें। अपनी बैंक शाखा का सही रूप से चयन करें। गलत बैंक शाखा/खाता संख्या भरने पर पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से आपका आवेदन रिजेक्ट हो जायेगा।

......2

- अपने आवेदन पत्र में बैंक खाता संख्या बिलकुल सही भरें, गलत खाता संख्या एवं बैंक शाखा भरने पर आपका आवेदन निरस्त हो जायेगा।
- छात्र प्रथम वर्ष में धनराशि न मिलने पर भी पूर्व आवेदन पत्र का अगली कक्षा में नवीनीकरण ही करें, न कि नवीन आवेदन पत्र भरें। छात्रों को नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र की कुछ अनिवार्य प्रविष्टियों को ही भरना है, जिसमें विगत परीक्षा के प्राप्तांक, पूर्णांक, अनिवार्य वार्षिक नान रिफण्डेबिल (**Non refundable**) फीस, मोबाइल नम्बर, वर्तमान विश्वविद्यालय/बोर्ड का अपना पंजीयन कमांक, आधार नम्बर, बचत बैंक खाता संख्या व **IFSC** कोड आदि भरना होगा। नवीनीकरण हेतु पात्र छात्र आवेदन पत्र में विगत कक्षा के प्राप्तांक को सही भरें क्योंकि अंकों का मिलान विश्वविद्यालय द्वारा अपलोड किये गये परीक्षाफल से किया जायेगा।
- सभी निजी क्षेत्र के संस्थानों में पाठ्यकम का प्रकार स्ववित्त पोषित ही रहेगा। शासकीय (**GOVT**) एवं शासकीय सहायता प्राप्त (**AIDED**) संस्थानों में पाठ्यकम, पाठ्यकम के प्रकार (नियमित (**Regular**)/स्ववित्त पोषित (**SELF FINANCE**) व उसके वर्ष का अंकन सही–सही ध्यानपूर्वक करें। छात्र/छात्रा विगत वर्ष में प्राप्त छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का अंकन अवश्य करें।
- छात्र/छात्रा मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आईडी स्वयं की ही दें।
- वर्तमान सत्र हेतु प्रचलित नियमावली, समय–सारिणी, प्रदर्शित सूचनायें एवं अन्य विस्तृत जानकारी हेतु **https://scholarship.up.nic.in** पर समय–समय पर सर्च करें एवं वेबसाइट पर निरन्तर प्रदर्शित हो रहे आवश्यक निर्देशों का भली–भांति पालन करें एवं समय–सारिणी में दी गयी समयावधि का उल्लघंन कदापि न करें अन्यथा आप छात्रवृत्ति एवं शुल्क पाने से वंचित हो सकते हैं।
- छात्र अपने आवेदन की स्थिति अपने लागिन एवं पासवर्ड के माध्यम से स्वयं देख सकते हैं। छात्रवृत्ति आवेदन संस्था द्वारा अग्रसारित करने/रिजेक्ट करने पर आपके मोबाइल पर एस0एम0एस0 भी भेजा जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि संस्थान द्वारा आपका आवेदन पत्र निर्धारित समयावधि में अग्रसारित हो जाय।

2–छात्र क्या न करें।

- शिक्षण संस्था में जमा करने के लिये आवेदन पत्र किसी अन्य व्यक्ति को न सौंपे। शिक्षण संस्थान में स्वयं जमा करें एवं पावती रसीद अवश्य प्राप्त कर लें।
- अपने व्यक्तिगत विवरण/अभिलेख यथा–हाईस्कूल का अनुकमांक व बैंक खाता संख्या तथा आवेदन हेतु सृजित पासवर्ड किसी से भी साझा (**Share**) न करें।
- आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि का इन्तजार न करें।
- अनुत्तीर्ण (**Fail**) छात्र किसी भी दशा में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन न करें। छात्र वार्षिक परीक्षा (सेमेस्टर होने की दशा में दो सेमेस्टर का परीक्षाफल प्रकाशित होने पर) का परीक्षाफल प्रकाशित न होने पर अगली कक्षा हेतु आवेदन न करें।
- शिक्षण संस्थान में जमा करने हेतु आवेदन पत्र का फाइनल प्रिन्ट आउट बिना निकाले आवेदन पत्र भरा हुआ नहीं माना जायेगा। समय–सारिणी में निर्धारित समयावधि में संशोधन करने के उपरान्त भी संस्थान में जमा करने हेतु संशोधित फाइनल प्रिन्ट निकाल कर संस्था में जमा करने एवं संस्था द्वारा अग्रसारित करने के उपरान्त ही संशोधित आवेदन पत्र मान्य होगा।
- छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/गलत प्रविष्टियां भरने पर पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा का ही होगा एवं आवेदन पत्र निरस्त हो जायेगा तथा छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी।
- यदि आपका डाटा सन्देहास्पद श्रेणी में आ जाता है तो सन्देह के कारण का उत्तर साक्ष्यों सहित अपनी संस्था के माध्यम से तत्काल जनपद स्तरीय अधिकारियों (जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी) को संस्थान के माध्यम से छात्रवृत्ति वेबसाइट पर प्रदर्शित निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि सन्देहास्पद डाटा का अभिलेखों सहित उत्तर निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं होता है तथा दिये गये उत्तर/अभिलेखों से छात्र के सही होने के दावे की पुष्टि नहीं होती है तो जनपदीय अधिकारियों द्वारा जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से निर्णय प्राप्त करते हुये डाटा डिजिटल हस्ताक्षर से अस्वीकृत (**REJECT**) कर दिया जायेगा।

(पी० के० त्रिपाठी)
संयुक्त निदेशक
निदेशालय समाज कल्याण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

(जगदीश प्रसाद)
आई० ए० एस०
निदेशक
समाज कल्याण, उ० प्र०